

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर-कुमाल्डा-कदखाल मोटर मार्ग के कि०मी० 15 से रगडगाव सरेखण प्रस्ताव कि०मी० (15.675 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रतिवेदन

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आय और उत्पादन रोजगार अवसरों के अधिक मात्रा में सृजन एवं स्थायी रूप से गरीबी निवारण करने के उद्देश्य से पर्वतीय क्षेत्र में 250 से अधिक आवादी वाले असंयोजित बसावटों को किसी भी बाह्यमासी सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का कार्यक्रम संचालित किया गया है। उक्त के कम में सचिव ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक - 1702/प 3-14/प्रभुधर भूतःअ०/१४ (14.04.2014) उत्तराखण्ड शासन द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग प्रधान मन्त्री ग्राम सड़क योजना के फेज -X के अन्तर्गत अनुमोदित किया गया है। (शासनादेश की फोटो प्रति संलग्न है)

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बसावट रगडगाव (Pop-300) की आवादी अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ा है। उन्नत कृषि भूमि होने के कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है, परन्तु यातायात की सुविधा न होने से कार्तिकालों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है साथ ही यातायात के साधन न होने से सरकार द्वारा घोषित विभिन्न विकास कार्य भी क्षेत्र में सुगमता पूर्वक संचालित नहीं हो पाते हैं। अन्य रोजगार के साधन न होने से बेरोजगार युवाओं का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। मोटर मार्ग निर्माण हो जाने से जहाँ युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगे वही सरकार की विकास योजनायें भी सुगमता से संचालित हो सकेंगी।

उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्र में कारस्तकारों की नाप भूमि के अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वन भूमि श्रेणी में ले लिया गया है। इस मार्ग के सरेखण में नाप भूमि 1.085 है०, सिविल सायम भूमि 0.136 है० एवं वन पचायत भूमि 2.296 है०, प्रभावित हो रही है जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है, एवं आरक्षित वनभूमि 7.455 है जिसका भूमि हस्तान्तरित करने हेतु वन सरेखण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 सरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न इन्ड्रस मानचित्र में अलग-अलग रंग से दर्शाया गया है।

सरेखण नं० 1 :- के अनुसार यह मोटर मार्ग जनपद टिहरी में विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत यह मार्ग पूर्व निर्मित रायपुर -कुमाल्डा-कदखाल मोटर मार्ग के कि०मी० 15 से प्रारम्भ होता है। तथा ल० 15.675 कि०मी० है। इस सरेखण में 4 हेक्टर पिन टैण्ड प्रस्तावित है। इस सरेखण में आरक्षित भूमि के अतिरिक्त बीच-बीच में सिविल एवं नाप भूमि आती है, इस सरेखण में मोटर मार्ग निर्माण करने में वृक्ष प्रभावित कम होते हैं तकनीकी दृष्टि एवं मानकों के अनुसार सही ग्रेड मिलता है एवं अधिक से अधिक आवादी लाभान्वित होती है। इसके अनुसार मोटर मार्ग की लम्बाई भी कम आती है। इस सरेखण के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में गामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत हैं।

सरेखण नं० 2 :- के अनुसार यह मोटर मार्ग जनपद टिहरी में विकासखण्ड रायपुर के अन्तर्गत यह मार्ग पूर्व निर्मित रायपुर -कुमाल्डा-कदखाल मोटर मार्ग के कि०मी० 15 से प्रारम्भ होता है। तथा ल० 15.675 कि०मी० है। इस सरेखण से स्थानीय जनता असहमत है भूके सरेखण की ल० अधिक है, इस सरेखण में वन भूमि नाप भूमि सिविल भूमि की भी अधिकता है जिस कारण भी स्थानीय जनता असहमत। अतः तकनीकी दृष्टि एवं मानकों के अनुसार सही ग्रेड नहीं मिलता है इस सरेखण के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में गामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत नहीं हैं।

उक्त को ध्यान में रखते हुए सरेखण नं० 2 को निरस्त कर सरेखण नं० 1 को अनुमोदित किया जाता है। इन दोनों का सरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा सरेखण नं०1 को मार्ग निर्माण हेतु तकनीकी पर्यावर्णीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न है) अतः 15.675 कि०मी० लम्बाई में ग्राम्य विकास विभाग के मन्त्रों के अनुसार 7 मोटर चौड़ाई में आने वाली 0.136 है० सिविल सायम, वन पचायत भूमि 2.296 है० एवं आरक्षित वन भूमि 3.528 है० कुल 9.887 है० प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) को हस्तान्तरित करने हेतु वन सरेखण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

कनिष्ठ अभियन्ता

पी०एम०जी०एस०वाई०

खण्ड सिचाई-२ नई टिहरी

सहायक अभियन्ता

पी०एम०जी०एस०वाई०

खण्ड सिचाई-२ नई टिहरी

अधिशाली अभियन्ता

पी०एम०जी०एस०वाई०

खण्ड सिचाई-२ नई टिहरी

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तर्गत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर-कुमाल्डी-कदूखाल मोटर मार्ग के कि०मी० 15 से रगडगाव सरेखण प्रस्ताव कि०मी० (15.675 कि०मी०)के नव निर्माण हेतु वन भूमी हस्तान्तरण प्रस्ताव।

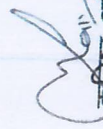
प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मार्ग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।

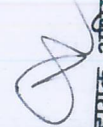
Presently the villagers (01 number of villagers Ragadgaon with a total population of 300) have to walk through a distance of 12-13km to meet their daily needs, as there is no road connecting the village. Due to the non-existing of any road connectivity, the lives of the villagers are in constant danger as there are no medical services which could be provided to them even in cases of emergency such as maternity.

Further, due to non-existent of the road connectivity the area remains backward in all respects. The main occupation of the villagers residing in this village is animal husbandry and agriculture. The villagers are forced to carry their cultivated crops such as Haldi, Adrak, Mirch, Lehsoon, Dhan, Aaloo Etc. on their feet or by mules to the near by market.

If the road connectivity is provided to the villagers it shall enhance the social and economical development of this area and migration of the people from the village shall be minimized. The forest land area falling in the proposed alignment of the road which is about 10.972 Hectare has been surveyed to the minimum and also the alignment of the road has been proposed in such a manner that there shall be a minimum of tree falling. **Other than the proposed alignment for the road, there is no such alignment which shall reduce the diversion of forest area or falling of trees.** The overall width proposed for acquiring of the land is 7.00 mtr and the construction of the road shall be carried out in a width of 6.00 in straight reaches. The Geological investigation along the proposed alignment has been carried out which also states that the proposed alignment of the road is safe for the construction. There are no graveyards, religious, historical/monumental or legendary places falling in the proposed alignment of the road.

In view of the above facts and public interest, it is requested that the forest land area of **9.887 Hectare** may kindly be diverted for the construction of the road.


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी


अधिसूची अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी


प्रभागीय वनाधिकारी
मसुरी वन प्रभाग